

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]	दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 2017/फाल्गुन 13, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 394
No. 85]	DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 2017/PHALGUNA 13, 1938	[N.C.T.D. No. 394

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 मार्च, 2017

सं. फा. अति.श्र.आ./श्रम/एमडब्ल्यू/2016/4859.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का XI) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राज्य मंत्रालय के दिनांक 24 अगस्त, 1950 की अधिसूचना सं. 104—जे तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 6 फरवरी, 1967 की अधिसूचना सं. का.आ. 530 तथा इसके लिए अन्य सभी शक्तियां जो उसे समर्थ बनाती हैं और दिनांक 26 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. एफ 12(1)142/11/एम डब्ल्यू/श्रम/2023-2047 के साथ पढ़े जाने वाली, अधिसूचना का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 15 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. 13(16)/एम डब्ल्यू/1/2008/श्रम/1859 द्वारा गठित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दिनांक 25 फरवरी, 2017 के मंत्री मंडल निर्णय संख्या 2466 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 26 जुलाई, 2011 के पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. एफ 12(1)142/11/एम डब्ल्यू/श्रम/2023-2047 में उल्लिखित सभी अनुसूची रोजगार में उल्लिखित श्रमिक/कर्मचारियों के वर्ग के लिए न्यूनतम वेतन दर संशोधन करते हैं, अर्थात् —

रोजगार की अनुसूची	श्रमिक/कर्मचारियों का संवर्ग	न्यूनतम मजदूरी दर रुपये में	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन
सभी अनुसूची रोजगार	अकुशल	13,350 /—	513 /—
	अर्धकुशल	14,698 /—	565 /—
	कुशल	16,182 /—	622 /—
	लिपिकीय एवं पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग		
	नॉन मैट्रीकूलेट	14,698 /—	565 /—
	मैट्रीकूलेट परंतु ग्रैजुएट नहीं	16,182 /—	622 /—
	ग्रैजुएट और उससे ऊपर	17,604 /—	677 /—

सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से ये दरें लागू होंगी।

नोट: 1 वेतन की न्यूनतम दर नियत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला, 2001 (आधार 2001=100) से लिंक है। महंगाई भत्ता न्यूट्रलाइजेशन के लिए, समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपये 1.35 प्रति प्वाइंट, अर्धकुशल के लिये रुपये 1.50 प्रति प्वाइंट कुशल के लिए रुपये 1.65 प्रति प्वाइंट, नॉन मैट्रीकूलेट के लिये रुपये 1.50 प्रति प्वाइंट, मैट्रीकूलेट परंतु ग्रेजुएट नहीं के लिए रुपये 1.65 प्रति प्वाइंट और ग्रेजुएट एवं उससे उपर के लिए रुपये 1.80 प्रति प्वाइंट है। समायोजन छः माह में होगा, अर्थात् गत वर्ष के जुलाई से दिसंबर तथा चालू वर्ष के जनवरी से जून के लिए औसत सूचकांक नम्बर को लेकर प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर को।

2. यदि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी होती है तो इसके परिणाम स्वरूप महंगाई भत्ते में कमी होगी, इस स्थिति में विभिन्न संवर्गों के श्रमिक/कर्मचारी के लिए वेतन के लिए अधिसूचित लागू न्यूनतम मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. महंगाई भत्ते की राशि यदि भिन्नता (फ़ैक्शन) में है तो इसे अगले उच्चतर रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।

4. आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन के पश्चात् जो श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आते हैं तथा नियोक्ता अंशदान की निर्धारित दरों के अनुसार नियोक्ता ईएसआई तथा पीएफ का अंशदान जमा कराना जारी रखेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd March, 2017

No. F. Addl.LC/Lab/MW/2016/4859.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) read with the Government of India, erstwhile Ministry of States notification No.104-J dated the 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs notification No.S.O.530. dated the 6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf and in continuation of notification no. F.12 (1)142/11/MW/Lab/ 2023-2047 dated the 26th July, 2011, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after considering the recommendations of the Minimum Wages Advisory Committee constituted vide notification no. 13(16)/MW/1/2008/Lab./1859 dated the 15th September, 2016 under sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 and Cabinet Decision no. 2466 dated the 25th February, 2017 of Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to revise, the minimum rates of wages for the class of workmen/employees mentioned in all the Schedule employments as mentioned in earlier notification no. F.12 (1)142/11/MW/Lab/ 2023-2047 dated the 26th July, 2011, in the National Capital Territory of Delhi, namely:—

Schedule of Employments	Category of Workmen/Employees	Minimum rates of wages in Rupees	
		Per month	Per day
All Schedule employments	Unskilled	13,350/-	513/-
	Semi-skilled	14,698/-	565/-
	Skilled	16,182/-	622/-
	Clerical and supervisory staff		
	Non Matriculate	14,698/-	565/-
	Matriculate but not Graduate	16,182/-	622/-
	Graduate and above	17,604/-	677/-

These rates shall come into force with effect from the date of notification in the Official Gazette.

Note: 1. The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index Series, 2001 (Base 2001=100). For Dearness Allowance neutralization, the rate of adjustment shall be Rs. 1.35 per point for Unskilled, Rs. 1.50 per point for Semi skilled, Rs. 1.65 per point for Skilled, Rs. 1.50 per point for Non matriculates, Rs. 1.65 per point for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will be made six monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for July to December of the previous year and January to June of the current year respectively.

2. In case there is decline in All India Consumer Price Index, as a result of which dearness allowance apparently decreases, in that case there shall be no impact on notified applicable minimum rates of wages for different category of workmen/employees.

3. Amount of Dearness Allowance in fraction, if any, would be rounded off to the next higher rupee.

4. It is further clarified that after revision in minimum rates of wages, all workmen who are covered under The Employees State Insurance Act, 1948 and Employees Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 and the employers would continue to deposit employer's contribution towards ESI and PF as per prescribed rates of contribution.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Secy. (LABOUR)